



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी  
प्रेस नोट

दिनांक-22.09.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0056/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कन्हैया लाल यादव पुत्र स्व0 वल्लर यादव निवासी तड़िया चकविही थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 21.09.2024 को माननीय न्यायालय जे0एम0-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त कन्हैया लाल यादव उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास (42 दिवस) व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।